HAPUR POLICE

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए एक अभियुक्त को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 20.01.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम हापुड़ के द्वारा "जानबूझकर माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने" के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- वर्ष-2020 में थाना धौलाना पुलिस द्वारा अभियुक्त आशु उर्फ प्रवीन उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र राजेन्द्र निवासी सोफियाबाद लोटी थाना मुण्डाली जनपद मेरठ को जानबूझकर माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना धौलाना पर मु0अ0सं0 168/2020 धारा 174ए भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 19.06.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 20.01.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 02 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा (ए.डी.जी.सी.) व विवेचक उ0नि0 श्री आर.के. सिंह एवं पैरोकार है0का0 रघुवीर सिंह व कोर्ट मोहर्रिर म0है0का0 672 अन्जू का विशेष योगदान रहा।